



उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-6  
संख्या:629/ 77-6-18-5(एम)/ 17टी.सी.2  
लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2018

### अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017" के प्रस्तर-3.2.3 को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| वर्तमान व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संशोधित व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रस्तर 3.2.3- निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों/ एस्टेटों तथा बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एगो पार्कों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जायेंगे। | प्रस्तर 3.2.3- निजी क्षेत्र द्वारा विकसित बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100 एकड़ तथा मध्यांचल <u>एवं पश्चिमांचल</u> में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित औद्योगिक पार्कों/ एस्टेटों तथा बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित एगो पार्कों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जायेंगे। |

2- अधिसूचना संख्या-691/ 77-6-17-5(एम)/ 17 दिनांक 13.07.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017" इस सीमा तक संशोधित समझी जाय। शेष शर्तें/ प्राविधान यथावत रहेंगे।

आलोक सिन्हा  
अपर मुख्य सचिव

**संख्या: 629(1) / 77-6-18-5(एम)/ 2017टीसी2 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) मुख्य सचिव/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.।
- (3) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

- (6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप/ उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
- (7) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत संशोधन उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर आज ही अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (8) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- (9) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (10) समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
- (11) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह पटेल)

विशेष सचिव।